



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25, 2012/फाल्गुन 6, 1933

No. 297]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25, 2012/PHALGUNA 6, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

आदेश

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2012

का.आ. 336(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव, श. हरमीत एस. सिंह को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है।

[फा. सं. 671/18/2001-सी.शु. VIII]

ए. के. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

ORDER

New Delhi, the 24th February, 2012

S.O. 336(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), the Central Government hereby specially empowers Ms. Harmeet S. Singh, Joint Secretary to the Government of India, for the purpose of the said Section.

[F. No. 671/18/2001-Cus. VIII]

A. K. SHARMA, Under Secy.